

Date  
22-  
03-  
2021

# सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

## थाना मण्डावली पुलिस द्वारा जिला बंदर अभियुक्त सादक उर्फ भूरा पुत्र शमीम 01 अवैध तमंचा 315 बोर व कारतूस सहित गिरफ्तार –

अवगत कराना है कि श्रीमान एडीएम प्रशासन महोदय के आदेशानुसार दिनांक 27.01.2021 को 06 माह के लिए जिलाबंदर अभियुक्त सादक उर्फ भूरा पुत्र शमीम नि० ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर को आदेश के अनुपालन में जिलाबंदर का नोटिस तामील कराकर जनपद बिजनौर की सीमा के बाहर छोड़ा गया था। कल दिनांक 21.03.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा जिला बंदर अभियुक्त सादक उर्फ भूरा उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर लकडहान नदी पुल के नीचे से मय 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर, एलप्रोजोलम की 300 गोली व 60 ग्राम एलप्रोजोलम गोलियों का पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डावली पर मु०अ०सं०-41/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु०अ०स० 42/2021 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट, मु०अ०स० 43/2021 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधि० पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सादक उर्फ भूरा पुत्र शमीम नि० ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर



### आपराधिक इतिहास अभि० सादक –

- 1- मु०अ०सं० 91/2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर।
- 2- मु०अ०स० 268/2012 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 3- मु०अ०स० निल/2012 धारा 414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 4- मु०अ०सं० 09/2020 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर।
- 5- मु०अ०सं० 19/2020 धारा 323,504,506,325 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली टीम ----

- 1- उ०नि० श्री कुवंरपाल सिंह
- 2- कां० 156 विपिन कुमार
- 3- कां० 441 आदेश कुमार
- 4- कां० 657 सचिन तोमर
- 5- कां० 1841 अनुज शर्मा

## थाना नूरपुर पुलिस / आबकारी विभाग द्वारा पंचायत चुनाव के उद्देश्य से निर्माण कि जा रहे अवैध

### शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 21.03.2021 को थाना नूरपुर पुलिस व आबकारी पुलिस विभाग चांदपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर नूरपुर से फतियाबाद जाने वाले रोड पर खेतों में बने खण्डहर नुमा कोठरी में अवैध शराब की कसीदगी करते हुए अभियुक्त कल्याण दत्त शर्मा उर्फ कल्लन पुत्र श्री दयानन्द शर्मा निवासी ग्राम झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 02 प्लास्टिक के बोरो में 180 पव्वे देशी शराब अपमिश्रित, 20 पव्वे खाली, एक बाल्टी प्लास्टिक जिसमें करीब 04 ली0 अपमिश्रित देशी शराब है, 01 मग, 01 जरीकैन, करीब 02 कि0ग्रा0 यूरिया बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0- 99/21 धारा 60(1) आब0 अधि0 व 272 भादवि पंजीकृत किया गया है।

#### अभियुक्त का नाम व पता:-

1- कल्याण दत्त शर्मा उर्फ कल्लन पुत्र श्री दयानन्द शर्मा नि0 ग्रा0 झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



#### बरामदगी का विवरण-

- 1- 02 प्लास्टिक के बोरो में 180 पव्वे भरे देशी शराब अपमिश्रित
- 2- 20 पव्वे खाली
- 3- 01 बाल्टी प्लास्टिक जिसमें करीब 04 ली0 अपमिश्रित देशी शराब है
- 4- 01 मग
- 5- 01 जरीकैन
- 6- 02 कि0ग्रा0 यूरिया

#### आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 286/17 धारा 60/72 आब0 अधि0 व 272,420 भादवि थाना नूरपुर
2. मु0अ0सं0- 99/21 धारा 60(1) आब0 अधि0 व 272 भादवि थाना नूरपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

##### थाना नूरपुर टीम

1. उ0नि0 श्री विनीत कुमार थाना नूरपुर, बिजनौर
2. उ0नि0 श्री राजकुमार वर्मा थाना नूरपुर, बिजनौर
3. का0 1418 सोनू कुमारथाना नूरपुर, बिजनौर
4. का0 951 अनुज तोमर थाना नूरपुर, बिजनौर
5. का0 1383 सुलभ यादव थाना नूरपुर, बिजनौर

##### आबकारी टीम

1. हे0का0 राजेन्द्र सिंह आबकारी विभाग चांदपुर
2. का0 वीरप्रताप सिंह आबकारी विभाग चांदपुर

**प्रेस नोट:-22.03.2021**

**थाना नगीना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 02 अभियुक्त 06 बने – अधबने शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार ।**

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रों का क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना नगीना पुलिस द्वारा दिनांक 21.03.2021 को रायपुर तिराहे से आगे नहर के पुल के पास रायपुर रोड पर बन्द पडे केशर के अन्दर बने दो मंजिल खण्डहरनुमा मकान के नीचे वाले कमरे से 02 अभियुक्तगण 1- शहजाद पुत्र शमी 2- धर्मवीर सैनी पुत्र राजेश सैनी को अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री जिसमें 03 अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद तमंचा 12 बोर, 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर अधबना, एक रायफल 315 बोर अधबनी व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित रात्रि 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया । जिस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 99/2021 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि आगामी पंचायत चुनाव के चलते अवैध शस्त्रों की मांग काफी बढ़ गयी है इसलिये हम लोग काफी समय से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर 05 से 07 हजार रुपये प्रति तमंचा बेच देते हैं। विक्रय किये गये धन को आपस में बांट लेते हैं। बरामद शस्त्रों का निर्माण पंचायत चुनाव में बिक्री के उद्देश्य से ही किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1- शहजाद पुत्र शमी नि0 मौ0 कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2- धर्मवीर सैनी पुत्र राजेश सैनी नि0 मौ0 कस्बा थाना नगीना जनपद बिजनौर



**अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण**

- 1.तीन अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
- 2.एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर
- 3.पाँच अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3.एक तमंचा 12 बोर अधबना
- 4.एक रायफल 315 बोर अधबनी
- 5.अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

**आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण**

**A.शहजाद पुत्र शमी नि0 मौ0 कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर**

- 1.मु0अ0सं0 364/2017 धारा 420/332/353 भादवि व 13 जी एक्ट थाना नगीना
- 2.मु0अ0सं0 26/2018 धारा 13 जी एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

- 3.मु0अ0स0 165/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0स0 164/2020 धारा 307 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0स0 405/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0स0 317/2020 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0स0 99/2021 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर

### **B.धर्मवीर सैनी पुत्र राजेश सैनी नि0 मौ0 कस्बा थाना नगीना जनपद बिजनौर**

- 1.मु0अ0स0 26/2019 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी मुरादाबाद
- 2.मु0अ0स0 27/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना जीआरपी मुरादाबाद
- 3.मु0अ0स0 28/2019 धारा 411 भादवि थाना जीआरपी मुरादाबाद
- 4.मु0अ0स0 229/2020 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0स0 99/2021 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण**

- 1.प्रभारी निरीक्षक कृष्ण मुरारी दोहरे 2.उप नि0 श्री योगेश कुमार 3.उप नि0 करमजीत सिंह 4.का0 376 सोनू
- 5.का0 1564 विपिन कुमार , 6.का0 389 कृष्णपाल , 7.का0 355 धर्मेन्द्र कुमार

## **थाना नगीना पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुये चोरी गये सोने चाँदी के आभूषणों व नकदी सहित 02 अभि0 गिरफ्तार ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 21/22.03.2021 की रात्रि थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा गोयल पब्लिक स्कूल के सामने से 02 नफर अभियुक्तगण 1.नीरज पुत्र घनश्याम 2- अकुर सैनी पुत्र महेन्द्र सैनी को थाने पर पंजीकृत मु0अ0स0 72/2021 धारा 380 भादवि में चोरी गये माल (एक चैन पीली धातु, 03 नग लौंग पीली धातु, 02 अगूठी पीली धातु, एक गले का हार पीली धातु, दो जोडी पैरो की पायल सफेद धातु व 900/- रूपये नगद) सहित गिरफ्तार किया गया ।

### **अभियुक्तगण का नाम व पता**

- A.नीरज पुत्र घनश्याम निवासी मौहल्ला विशनोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर
- B. अकुर सैनी पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर



## बरामदगी का विवरण

1. एक चैन पीली धातु
2. तीन नग लौंग पीली धातु
3. दो अगूंठी पीली धातु
4. एक गले का हार पीली धातु
5. दो जोड़ी पैरो की पायल सफेद धातु
6. (900/- रुपये नगद)

## गिरफ्तारी टीम

1. प्रभारी निरीक्षक कृष्ण मुरारी दोहरे
2. उप नि० करमजीत सिंह
3. का० 389 कृष्णपाल ,
4. का० 355 धर्मेन्द्र कुमार

**थाना को०शहर:-** आज दिनांक 22.03.2021 को थाना को०शहर पुलिस द्वारा अभि० मुर्सलीम पुत्र मुन्ना निवासी काजीवाला थाना को०शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना को०शहर पर मु०अ०सं० 167/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



**थाना नहतौर:-** आज दिनांक 22.03.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभि० असद पुत्र वकील निवासी मौ० तीर ग्राम कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 05 सुतली बम, 30 महताब, 10 किलो कच्चा कोयला, 05 किलो अर्द्धनिर्मित पटाखे सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 81/21 धारा 5/9 विस्फोटक पदार्थ अधि० पंजीकृत किया गया।



**थाना नहतौर:-** आज दिनांक 22.03.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभि० शाहरुख पुत्र महबूब निवासी बैरमाबाद थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 80/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



**थाना नहतौरः—** आज दिनांक 22.03.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभि0गण 1—मौ0 इरशाद पुत्र नज्जू, 2—अजीम पुत्र नसीम निवासीगण ग्राम बैरमाबाद गढ़ी थाना नहतौर जनपद बिजनौर को सट्टे की खाईवाड़ी करते हुये मय पर्चा सट्टा व 1100 रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 82/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।



**थाना नहतौरः—** आज दिनांक 22.03.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभि0 जाकिर पुत्र अकबर निवासी ग्राम पांडला थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 83/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।



**थाना नजीबाबाद:-** आज दिनांक 22.03.2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभि० नवाज शरीफ पुत्र फारूख निवासी मौ० राधगान कस्बा व थाना किरतपुर को एक चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 141/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



**थाना हल्दौर:-** आज दिनांक 22.03.2021 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभि०गण 1.बंटी पुत्र सुंदर सिंह निवासी ग्राम नागल जट थाना हल्दौर बिजनौर 2.अनुज सिंह पुत्र नरदेव सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02-02 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 177/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम बंटी व मु०अ०सं० 177/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० 178/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनुज उपरोक्त पंजीकृत किया गया।





**थाना नगीना देहात:-** आज दिनांक 22.03.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभि0 रिजवान पुत्र यासीन निवासी चन्दनवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को अपमिश्रित 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना 60 (1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।





आज दिनांक 22.03.2021 को जनपदीय प्रभारी एण्टी रोमियों टीम द्वारा नगर बिजनौर में जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।

